



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-05012024-251185
CG-MH-E-05012024-251185

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]
No. 19]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 5, 2024/पौष 15, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 5, 2024/PAUSHA 15, 1945

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
अधिसूचना

मुंबई, 5 जनवरी, 2024

[आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/163.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) एवं खंड (ग) तथा धारा 12 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (1ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में, -

I. विनियम 15 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ज) के बाद, निम्नलिखित नया खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(झ) आनुकल्पिक निवेश निधियाँ (ए.आई.एफ.), उन शर्तों के अधीन, अपने निवेश डीमैट (गैर-कागज़ी) रूप में रखेंगी, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएँ:

परंतु यह कि उप-विनियम (1) के खंड (झ) में दी हुई अपेक्षा:

- (क) आनुकल्पिक निवेश निधियों द्वारा उस प्रकार के लिखतों (इन्स्ट्रुमेंट्स) में किए जाने वाले निवेश के मामले में लागू नहीं होगी, जो डीमैट रूप में न रखे जा सकते हों,
- (ख) आनुकल्पिक निवेश निधियों की किसी ‘परिसमापन की स्कीम’ (लिक्विडेशन स्कीम) के अंतर्गत पड़े उन निवेशों के मामले में लागू नहीं होगी, जो डीमैट रूप में न हों, और
- (ग) आनुकल्पिक निवेश निधियों द्वारा किए जाने वाले उन अन्य निवेशों और आनुकल्पिक निवेश निधियों की उन अन्य स्कीमों के मामले में लागू नहीं होगी, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।”

II. विनियम 20 में, उप-विनियम (11) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(11) आनुकल्पिक निवेश निधि का प्रायोजक या प्रबंधक आनुकल्पिक निवेश निधि की प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को सुरक्षित रखने के लिए बोर्ड से रजिस्टर अभिरक्षक (कस्टोडियन) को उसी प्रकार नियुक्त करेगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए:

परंतु यह कि प्रवर्ग-III की आनुकल्पिक निवेश निधि के प्रायोजक या प्रबंधक द्वारा नियुक्त किया गया अभिरक्षक (कस्टोडियन) कमोडिटी डेरिवेटिव का वास्तविक निपटान (फिजिकल सेटलमेंट) किए जाने की वजह से मिलने वाली प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) और वस्तुओं को अपनी अभिरक्षा (कस्टडी) में रखेगा:

परंतु यह और कि आनुकल्पिक निवेश निधि के प्रायोजक या प्रबंधक द्वारा नियुक्त किया गया अभिरक्षक (कस्टोडियन) आनुकल्पिक निवेश निधि के निवेशों की जानकारी आदि उसी प्रकार प्रस्तुत करेगा या देगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।”

III. विनियम 20 में, उप-विनियम (11) के बाद, निम्नलिखित नया उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(11क) जो अभिरक्षक (कस्टोडियन) आनुकल्पिक निवेश निधि के प्रायोजक या प्रबंधक का सहयोगी (असोसिएट) हो, वह उस आनुकल्पिक निवेश निधि के अभिरक्षक (कस्टोडियन) के रूप में केवल तभी कार्य कर सकेगा, जब नीचे दी गई सभी शर्तें पूरी होती हों:

- (क) प्रायोजक या प्रबंधक की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) हर समय कम से कम बीस हजार करोड़ रुपये की बनी रहे;
- (ख) अभिरक्षक (कस्टोडियन) के पचास प्रतिशत या उससे अधिक निदेशक प्रायोजक या प्रबंधक या फिर उनके सहयोगियों (असोसिएट) के हित का प्रतिनिधित्व न करते हों;
- (ग) आनुकल्पिक निवेश निधि का अभिरक्षक (कस्टोडियन) आनुकल्पिक निवेश निधि के प्रायोजक या प्रबंधक की सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) न हो और आनुकल्पिक निवेश निधि का प्रायोजक या प्रबंधक आनुकल्पिक निवेश निधि के अभिरक्षक (कस्टोडियन) की सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) न हो;
- (घ) आनुकल्पिक निवेश निधि के अभिरक्षक (कस्टोडियन) का निदेशक आनुकल्पिक निवेश निधि के प्रायोजक या प्रबंधक के यहाँ निदेशक पद पर न हो और आनुकल्पिक निवेश निधि के प्रायोजक या प्रबंधक का निदेशक आनुकल्पिक निवेश निधि के अभिरक्षक (कस्टोडियन) के यहाँ निदेशक पद पर न हो; और

(ड) आनुकल्पिक निवेश निधि के अभिरक्षक (कस्टोडियन) और प्रबंधक ने इस वचनपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हों कि वे आनुकल्पिक निवेश निधि की स्कीमों से संबंधित अपना कामकाज अलग-अलग करेंगे।”

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./673/2023-24]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, 21 मई 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 तत्पश्चात्,-
 - (क) 16 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/24/6573, द्वारा
 - (ख) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
 - (ग) 26 सितम्बर, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/11/1576, द्वारा
 - (घ) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/011, द्वारा
 - (ङ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/026, द्वारा
 - (च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा
 - (छ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/19, द्वारा
 - (ज) 10 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/16, द्वारा
 - (झ) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
 - (ञ) 19 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/37, द्वारा
 - (ट) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/01, द्वारा

- (ठ) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/21, द्वारा
- (ड) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
- (ढ) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/33, द्वारा
- (ण) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/41, द्वारा
- (त) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/57, द्वारा
- (थ) 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/68, द्वारा
- (द) 16 मार्च, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/75, द्वारा
- (ध) 25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/89, द्वारा
- (न) 15 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/105, द्वारा
- (प) 9 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/113, द्वारा
- (फ) 18 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/115, द्वारा
- (ब) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा
- (भ) 15 जून, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/132, द्वारा
- (म) 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/137, द्वारा
- (य) 17 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/146, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th January, 2024

(Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/163.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) and clause (c) of sub-section (2) of Section 11 and sub-section (1) and (1B) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, namely, –

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2024.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, –
 - I. In regulation 15, in sub-regulation (1), after clause (h), the following new clause shall be inserted, namely, -

“(i) *Alternative Investment Funds shall hold their investments in dematerialised form, subject to such conditions as may be specified by the Board from time to time:*

Provided that the requirement under clause (i) of sub-regulation (1) shall not apply to:

 - (a) *investments by Alternative Investment Funds in such type of instruments which are not eligible for dematerialisation,*
 - (b) *investments held by a liquidation scheme of the Alternative Investment Funds that are not available in the dematerialised form, and*
 - (c) *such other investments by Alternative Investment Funds and such other schemes of Alternative Investment Funds as may be specified by the Board from time to time.”*
 - II. In regulation 20, sub-regulation (11) shall be substituted with the following, namely, -

“(11) *The Sponsor or Manager of the Alternative Investment Fund shall appoint a Custodian registered with the Board for safekeeping of the securities of the Alternative Investment Fund, in the manner as may be specified by the Board from time to time:*

Provided that the Custodian appointed by the Sponsor or Manager of a Category III Alternative Investment Fund shall keep the custody of the securities and goods received in delivery against the physical settlement of commodity derivative:

Provided further that the Custodian appointed by the Sponsor or Manager of an Alternative Investment Fund shall report or disclose such information regarding investments of the Alternative Investment Fund in such manner as may be specified by the Board from time to time.”
 - III. In regulation 20, after sub-regulation (11), the following new sub-regulation shall be inserted, namely, -

“(11A) *A Custodian which is an associate of the Sponsor or Manager of an Alternative Investment Fund may act as a custodian for that Alternative Investment Fund only when all the following conditions are met:*

 - (a) *the Sponsor or Manager has a net worth of at least twenty thousand crore rupees at all points of time;*
 - (b) *fifty per cent or more of the directors of the Custodian do not represent the interest of the Sponsor or Manager or their associates;*
 - (c) *the Custodian and the Sponsor or Manager of the Alternative Investment Fund are not subsidiaries of each other;*
 - (d) *the custodian and the Sponsor or Manager of the Alternative Investment Fund do not have common directors; and*

- (e) *the Custodian and the Manager of the Alternative Investment Fund sign an undertaking that they shall act independently of each other in their dealings of the schemes of the Alternative Investment Fund.”*

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./673/2023-24]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on May 21, 2012 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.
2. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were subsequently amended on, –
 - (a) 16th September, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/24/6573.
 - (b) 23rd May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
 - (c) 26th September, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/11/1576.
 - (d) 14th August, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/011.
 - (e) 4th January, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/026.
 - (f) 6th March, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037.
 - (g) 1st June, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2018/19.
 - (h) 10th May, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2019/16.
 - (i) 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - (j) 19th October, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2020/37.
 - (k) 8th January, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2021/01.
 - (l) 5th May, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/21.
 - (m) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
 - (n) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/33.
 - (o) 13th August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/41.
 - (p) 9th November, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/57.
 - (q) 24th January, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/68.
 - (r) 16th March, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/75.
 - (s) 25th July, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/89.

- (t) 15th November 2022, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/105.
- (u) 9th January 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/113.
- (v) 18th January 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115.
- (w) 7th February 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.
- (x) 15th June 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/132.
- (y) 3rd July 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137.
- (z) 17th August 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.